राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 1(2) ग्रावि/नरेगा/मा.द./56002/2014 जयपुर, दिनांकः–

## –:: परिपत्र ::–

24 NOV 2015

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की संशोधित अनुसूची 1 के पैरा 4(1)(ii) प्रवर्ग आ के तहत **दुर्बल वर्ग के काश्तकारों की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा विकसित किये जाने हेतु कुओं का निर्माण किया जाना एक अनुमत गतिविधि** है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी **दिशा निर्देश 2013** (चतुर्थ संस्करण) के **पैरा 7.3.9 में कुआ निर्माण** के संबन्ध में **विस्तृत दिशा निर्देश** दिए गए है। वर्णित इन दिशा निर्देशों के अनुरूप कुआ निर्माण के संबन्ध में **निम्नानुसार निर्देश** जारी किये जाते है :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **बोरवैल एवं ट्यूबवैल का निर्माण किसी भी हालत में नही** किया जायेगा।
2. केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण के अद्यतन आंकलन के अनुसार **सेमीक्रिटिकल/क्रिटिकल/अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में निजी कुएं खोदना अनुमत नही** है।
3. केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण के अद्यतन आंकलन के अनुसार **सेमीक्रिटिकल/क्रिटिकल/अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में समूह कुआं (ग्रुपवैल) का निर्माण कार्य कराया जा सकता** है, जहॉ **कम से कम तीन कृषकों** का कृषक समूह **"समूह कुआं" से पानी की सहभागिता** करने हेतु सहमत हों।
4. समूह कुआं निर्माण से पूर्व, समूह कुएं से पानी लेने के लिए, **अधिनियम में वर्णित पात्र परिवार** के कम से कम **तीन कृषक परिवारों जिनके खेत आपस में जुडे हुए हो, का समूह तैयार** किया जायेगा जिनके बीच **समूह कुएं से पानी लेने के लिए रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर औपचारिक** रूप से **करार** कर ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा। इस समूह में **एक परिवार** का केवल **एक ही व्यक्ति सदस्य** हो सकता है एवं **एक परिवार एक से अधिक समूह** का सदस्य **नही** हो सकता है। कुएं का **मालिकाना हक संयुक्त** रहेगा एवं इसका **राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज "ग्रुप सिंचाई कुएं"** के रूप में मय समूह परिवार के नाम के, किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत केवल नये कुओं का निर्माण ही कराया जावे। पुराने कुएं के गहरीकरण के कार्य नही कराए जावे।
6. कुआं निर्माण के साथ ही इसके रिचार्ज हेतु रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाया जाना भी अनिवार्य है।
7. कुआं निर्माण केवल ऐसे क्षेत्रों में ही किया जावे जहॉ कुओं से सिंचाई की Prevailing practice है।
8. **"समूह कुआं" निर्माण हेतु कार्य** नियमानुसार **वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित** किया जाना अनिवार्य है।

9. केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण के अद्यतन आंकलन के अनुसार **सुरक्षित क्षेत्रों (सेमीक्रिटिकल/ क्रिटिकल/अतिदोहित नही) में व्यक्तिगत कुओं का निर्माण किया** जा सकता है।

10. समूह कुओं के निर्माण की स्वीकृति से पूर्व कुओं की गहराई, व्यास, एक कुएं से दूसरे कुएं की दूरी, कुएं निर्माण किए जाने वाले स्थान पर पानी की उपलब्धता आदि के संबन्ध में भू–जल प्राधिकरण/विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही अनिवार्य है।

11. समूह कुएं पर होने वाला **व्यय, समूह के प्रत्येक परिवार में बराबर** माना जायेगा एवं यह राशि प्रत्येक परिवार हेतु अनुमत रू. तीन लाख की सीमा में सम्मिलित होगी। अर्थात यदि तीन परिवारों के लिए समूह कुआं निर्माण में राशि रू. छः लाख का व्यय होता है तो प्रत्येक परिवार के पेटे रू. दो लाख का व्यय माना जायेगा एवं उस परिवार के लिए शेष एक लाख रू. तक के ही अन्य कार्य कराए जा सकेगे।

12. कार्य अपूर्ण नही छोडा जायेगा। कार्य अपूर्ण छोडे जाने एवं कुएं में पानी उपलब्ध नही होने की स्थिति में वहन की गयी राशि संबन्धित लाभार्थियों से वसूली जायेगी।

13. ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारम्भ किये गये सभी कार्यो के लिए कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री मद की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नही होगी। ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य कार्यकारी संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों के लिए कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री मद की लागत जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

भवदीय

23.11.15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1 माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2 माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि।
4 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5 आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज।
6 शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7 आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
9 अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/बाडमेर।
11 कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

23.11.15

परि.निदे.एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस